

मामालम:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं:- 75/2026

तरीफानी धारा क्रंड सं:- 34/2026

18.3.2026:-

आवेदकगण ① हरिकेश्वर राम ② देवेन्द्र राम
③ सरवन राम एवं ④ मितीशा राम की ओर से दाखिल
अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने हेतु एक
अलग से आवेदन दाखिल किया गया। जो विद्वान
लोक अभिमोचन को हस्तगत करा दिया गया है।

वाद पुकारा गया। अभिलेख प्रस्तुत किया
गया। उभय पक्षों को सुना। दिनांक:- 23.02.2026
को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायहित में
अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन को
वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में
जमा करें।

लैरवापित

५५

प्रधान सत्र न्यायाधीश